

वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण दशा एवं दिशा

प्रभाकर कुमार*

“निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति कै मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटै न हिय कै सूल॥”

वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण की स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। इस आलेख में इसी बिंदु को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण— दशा एवं दिशा पर बात की गई है। इसमें लेखक द्वारा वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण की स्थितियों पर चर्चा की गई है तथा हिंदी शिक्षण में समय की माँग को देखते हुए, किन-किन चीजों में बदलाव करने की आवश्यकता है और क्यों है? इसका असर विद्यार्थियों पर किस प्रकार से पड़ रहा है और हिंदी शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो अनुभवात्मक अधिगम शिक्षणशास्त्र की बात की गई है उसे लागू करने में किस प्रकार से मददगार साबित होगी, इस पर बात की गई है।

वर्तमान समय में हिंदी को राजभाषा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि हिंदी का विकास साहित्येतर क्षेत्रों में भी हो रहा है। वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी है और ज़्यादातर लोगों का झुकाव भी अंग्रेजी भाषा की ओर हो रहा है। ऐसे में अगर हम हिंदी शिक्षण की स्थिति की बात करते हैं, तो पाते हैं कि हिंदी शिक्षण की स्थिति दिन-प्रतिदिन बदलती जा रही है। हिंदी भारत के 9 राज्यों की मातृभाषा और भारत में सबसे अधिक

लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, इसके बावजूद वह अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अंग्रेजी के साथ लगातार संघर्ष कर रही है। वर्तमान समय में हिंदी के प्रति लोगों का नज़रिया भी बदल रहा है। हिंदी विषय को सिर्फ़ नाटक उपन्यास और कहानी तक सीमित माना जाता था और हिंदी पढ़ने वाले पाठकों के प्रति लोगों का नज़रिया भी दूसरा होता था। हिंदी के विद्यार्थी भी हिंदी विद्यार्थी बोलने में हिचकिचाने की स्थिति में होता था। लेकिन आज तकनीकी के

*पीएच.डी. शोधार्थी, हिंदी विभाग, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय

साथ जुड़कर भाषा का नया रूप सामने आ रहा है। इन सबके बावजूद हिंदी की तरफ लोगों का झुकाव है। हिंदी के प्रति शिक्षकों का झुकाव कम होता जा रहा है। वर्तमान समय में ज्यादातर हिंदी शिक्षक अपनी कक्षा के दौरान कुछ नयापन नहीं करना चाहते हैं। वे अध्ययन-अध्यापन के लिए व्यवहारवादी पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। वे अपनी कक्षा को रोचक तथा विद्यार्थियों को परिवेश से जोड़ पाने में असफल हैं, क्योंकि वे पुरानी परंपरा को छोड़कर नई परंपरा को अपना नहीं पा रहे हैं। अन्य विषयों के शिक्षण के लिए जिस प्रकार से तरह-तरह की शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग हो रहा है उस तरह की सामग्री का हिंदी शिक्षण में उपयोग नहीं हो रहा है। इसका सीधा असर विद्यार्थियों पर पड़ता है जिसके कारण उन्हें पाठ्यवस्तु समझने में दिक्कत आती है। हिंदी शिक्षण की व्याख्यान विधि का ही बोलबाला होने के कारण हिंदी शिक्षण का स्वरूप नीरस है। वर्तमान समय में हिंदी के बहुत ही कम शिक्षक हैं जो निर्माणात्मक पद्धति से कक्षा में अध्यापन करते हैं। ज्यादातर शिक्षक तो अपना पाठ्यक्रम पूरा करने में ही अपना दायित्व समझते हैं। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक कक्षाओं की बात करें तो पाते हैं कि आज भी हिंदी शिक्षण के बहुत ही कम शिक्षक हैं जो अपनी कक्षाओं को रोचक बनाने में तथा विद्यार्थियों को समझाने हेतु शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए— फ्लैश बोर्ड, रेखाचित्र, चार्ट, डायग्राम, कटआउट्स, पोस्टर, नक्शे और डायोरमा आदि। इन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर हिंदी शिक्षण को और

समृद्ध करना है, तो उसके शिक्षण में बदलाव लाना होगा। परंपरावादी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। अगर ऐसा कर पाने में हम सफल होते हैं तो निश्चित तौर पर हिंदी शिक्षण को नया रूप दे पाएंगे। अगर हम ऐसा कर पाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो भाषा शिक्षण के लिए अनुभवात्मक अधिगम शिक्षणशास्त्र की बात की गई है। उसे पूर्णरूपेण लागू कर पाएंगे और नीति भी सफल होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा तथा शिक्षण में जिस विषयवस्तु को बाहरी वातावरण से जोड़ने की बात की गई, उसे भी हम कर पाएंगे। कोई भी नीति या रूपरेखा तभी सफल हो पाएगी जब हम मिलकर उसके अनुसार कार्य करेंगे। अगर मिलकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी सफल होगी और पूरे भारत के हिंदी के विद्यार्थियों को लाभ इसका मिलेगा।

महान शिक्षा शास्त्री जे. कृष्णमूर्ति के अनुसार, “एक सिस्टम आदमी को नहीं बदल सकता है, बल्कि आदमी सिस्टम को बदलते हैं।” ठीक उसी प्रकार सिस्टम को भी बदला जा सकता है जब हम उससे बाहर निकलकर कुछ अलग सोचें और जो परंपरावादी शिक्षण विधियों तक ही सीमित हैं, उससे बाहर निकलें। अगर हमें हिंदी में कुछ अलग करना है तो सिर्फ हिंदी के बारे में बातें करने से नहीं होगा, बल्कि उसके लिए आगे बढ़कर कार्य भी करना होगा, क्योंकि आज तक हम उन समस्याओं पर सिर्फ बातें करते आ रहे हैं। अपनी इस आदत को हमें बदलना होगा। हिंदी शिक्षण की वर्तमान स्थिति को सुधारना है तो हमें प्राथमिक स्तर से बदलाव शुरू करना

होगा। अगर हमारी नींव मज़बूत होगी तो निश्चित ही हम आगे और अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं। हिंदी शिक्षण में ये बदलाव तभी संभव हैं जब हम उसके अनुसार पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम बनाएँ तथा परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली को भी बनाएँ। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने की बात रा.शै.अ.प्र.प. के फोकस समूह के आधार पत्र परीक्षा प्रणाली में सुधार में किया गया है। वर्तमान समय में जो परीक्षा प्रणाली है उसमें काफ़ी बदलाव करने की ज़रूरत है। अगर परीक्षा प्रणाली में बदलाव करना है तो निश्चित तौर पर शिक्षण विधियों में भी बदलाव करना होगा। आज की परीक्षा प्रणाली 21वीं सदी के अनुसार न होकर परंपरावादी और रटंत विद्या पर आधारित है। परीक्षा का अर्थ “परितः इक्षणम्” अर्थात् छात्रों को चारों ओर से देखना, आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में कक्षा में छात्रों ने क्या सीखा है और कितना सीखा है। इसकी जाँच करने की प्रणाली का नाम परीक्षा प्रणाली है, लेकिन आज की परीक्षा प्रणाली के प्रश्न बिना समझे रटने की आदत डालते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली केवल स्मरण शक्ति के कौशल की जाँच करती है। वर्तमान स्वरूप में परीक्षाएँ— परीक्षा पूर्व तथा परीक्षा पश्चात दोनों ही परिस्थिति में विद्यार्थियों में दबाव एवं दुश्चिंता उत्पन्न करती हैं। इसलिए परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता क्यों है इसे विस्तार से जानने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को देखा जा सकता है—

- भारत में विद्यालय बोर्ड की परीक्षाएँ 21वीं सदी के ज्ञान समाज और इसके नवाचारी समस्या

समाधानकर्ताओं की आवश्यकता के अत्यंत अनुपयुक्त है।

- यह सामाजिक न्याय की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती।
- प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता काफ़ी कम होती है।
- इसमें लचीलापन नहीं है। एक नीति सबके लिए उपयुक्त के सिद्धांत पर आधारित है।
- ये परीक्षाएँ अत्यधिक तनाव एवं चिंता उत्पन्न करती हैं। परीक्षाजनित आत्महत्याएँ एवं नर्वस ब्रेकडाउन की घटनाएँ बढ़ रही हैं।
- यहाँ ग्रेड देने और ग्रेड/अंक रिपोर्ट में अक्सर पूर्ण प्रकटीकरण और पारदर्शिता का अभाव है। जिसके संबंध में राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने ‘शिक्षा बिना बोझ के’ (1993) में सुझाया गया है कि— कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में ली गई बोर्ड परीक्षाएँ नौकरशाही सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अलावा अगर हम बोर्ड परीक्षाओं की बात करें तो पाते हैं कि बोर्ड परीक्षाएँ भी विद्यार्थियों में रटने पर ज़ोर देती हैं। वहीं अगर हम भाषा मूल्यांकन की बात करें, तो पाते हैं कि भाषा मूल्यांकन के समय भाषा अधिगम की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम किन तथ्यों का परीक्षण करें और किस प्रविधि से करें, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। साहित्य के परीक्षण में प्रायः भाषा के सभी कौशलों को किसी न किसी प्रकार साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे— किसी कविता या कहानी को सुना जा सकता है, लेकिन इन सभी बातों पर ध्यान न देकर सिर्फ़ बोर्ड परीक्षाओं में ज्ञानात्मक प्रश्नों की बहुलता

होती है। बोधात्मक और क्रियात्मक प्रश्नों की संख्या भी काफी कम होती है। इसकी वजह से विद्यार्थियों में रचनात्मक क्षमता का विकास न होकर सिर्फ रटने की आदत लग जाती है। इसके अलावा मूल्यांकन में भी सिर्फ परीक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। मौखिक परीक्षा एवं सामूहिक कार्य मूल्यांकन बहुत कम कराया जाता है। मूल्यांकन करते समय भी ध्यान सिर्फ प्रश्नों के उत्तर की ओर होता है। विद्यार्थी क्या समझा, क्या नहीं और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है? इस तरफ मूल्यांकनकर्ता का ध्यान बहुत ही कम जाता है। विद्यार्थियों की सोच तथा विचार से उनका कोई लेना-देना नहीं होता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अगर विद्यार्थियों को उनकी विचारधारा लिखने की इजाजत दी जाए तो उन्हें प्रश्न-पत्र जाँच करते वक्त काफी समय लगेगा, क्योंकि सबकी अपनी अलग-अलग विचारधारा होगी। वहीं ज्ञानात्मक प्रश्नों में इस प्रकार की समस्या नहीं होती है, इसलिए ज्यादातर प्रश्न ज्ञानात्मक होते हैं जो कि उचित नहीं है। अगर हमें इस समस्या से निकलना है तो इसमें परीक्षा प्रणाली में निश्चित रूप से बदलाव करना होगा और परंपरावादी विचारधारा से बाहर निकलना होगा। परंपरावादी विचारधारा से निकलने में अगर सफल हो गए, तो निश्चित रूप से हिंदी शिक्षण की स्थिति में सुधार कर पाने में सफल हो सकेंगे। यह सुधार प्राथमिक स्तर से करना होगा। प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी की कक्षाओं का

उद्देश्य निर्धारण करना होगा। उदाहरण के लिए, कौन-सी कक्षा में क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए तथा उसे पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? इन बातों का मूल्यांकन भी आवश्यक है। जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था वह कितना सफल हुआ है और उसे पूरा कैसे किया जा सकता है, अगर इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रखकर कार्य किया जाए तो हिंदी का भविष्य निश्चित रूप से सुनहरा होगा। इसके लिए पाठ योजना में भी सुधार करना होगा। यह सब तभी संभव होगा जब हम कुछ अलग करने की सोच रखेंगे तथा उसके अनुसार कार्य करने को तैयार रहेंगे तथा उसमें आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण की तकनीकी को लेकर कम चर्चा होती है। अगर होती भी है तो उसे पूर्णरूपेण लागू नहीं किया जाता है। तकनीकी को लेकर की गई चर्चाएँ व्याख्यान तक ही सीमित रह जाती हैं। अगर किसी तकनीकी के उपयोग का कोई प्रयास किया भी जाता है तो वह सफल नहीं हो पाता। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदी शिक्षकों को उसके लिए तैयार नहीं किया जाता है। अगर हिंदी शिक्षक स्वयं तकनीकी का प्रयोग करना नहीं जानते तो वह अपनी कक्षा में तकनीकी का प्रयोग नहीं कर पाएँगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, “एक दीपक दूसरे दीपक को तब तक प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक कि वह स्वयं प्रज्वलित ना रहे।” इसी प्रकार एक शिक्षक भी तब तक अध्यापन नहीं कर सकता जब तक वह स्वयं उस विषय के बारे में ज्ञान न

रखता हो। अगर वेदों की बात करें तो अथर्ववेद में कहा गया है कि गुरुवर आप ऐसे खेल-खेल में पढ़ाए हैं कि जो कुछ भी मैं सुनूँ वह मुझमें ही रहे। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से विद्यार्थियों को रटने की प्रणाली से मुक्त कराने की बात करती है। वह इस बात पर जोर देता है कि पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित न रह जाए। वहीं अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि रटकर सीखने के बजाय रचनावादी तरीके से सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ स्कूल की पाठ्यचर्या में भी बदलाव होना चाहिए। यह सब तभी लागू होगा जब शिक्षकों को भी उसी के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम या फिर तकनीकी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सब ठीक तरह से तभी कार्य कर पाएँगे जब शिक्षक उसके अनुसार ही प्रशिक्षित होंगे। कार्य शिक्षक को ही करना है, इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी समय की माँग को देखकर करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को समय की माँग के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए। इसके अलावा हिंदी में होने वाले शोधों में भाषा शिक्षण शोध पर जोर देना चाहिए। अगर वर्तमान समय की बात करें तो पाते हैं कि हिंदी में होने वाले अनुसंधान का 90 फीसदी साहित्य केंद्रित होता है और भाषा, जनसंचार आदि पर मुश्किल

से 10 फीसदी काम होता है। इसमें बढ़ोतरी करनी होगी। अगर भाषा पर ज्यादा से ज्यादा शोध होंगे तो निश्चित तौर पर नई-नई बातें निकल कर सामने आएँगी। इससे हिंदी शिक्षण को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा रा.शै.अ.प्र.प. के दस्तावेज *परीक्षा प्रणाली में सुधार* में परीक्षा प्रणाली की बात की गई है या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 2019 में प्रकाशित रिपोर्ट *उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार* में जो तथ्य दिया गया है कि सार्थक सीखने को क्रियावित करने के लिए मूल्यांकन को सीखने के परिणामों और संस्थागत लक्ष्यों से जोड़ा जाना चाहिए। दोनों ही दस्तावेजों द्वारा सुझाई गई बात लागू कर पाएँगे और दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली को ठीक कर पाएँगे जिसकी ज़रूरत भारतीय शिक्षा जगत को वर्षों से है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में हिंदी शिक्षण की जो दशा एवं दिशा है उसमें समय की माँग को देखते हुए काफ़ी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, जैसे—परीक्षा प्रणाली में सुधार, मूल्यांकन के तरीकों में सुधार, शिक्षण विधियाँ में सुधार, शिक्षण सहायक सामग्री में बढ़ोतरी आदि। इसकी वकालत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भी करती है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सफल बनाना है और अनुभवात्मक अधिगम शिक्षणशास्त्र को पूर्णरूपेण लागू करना है तो इसके लिए किस प्रकार का

बदलाव लाना होगा इस पर विचार किया जाना चाहिए और सबको मिलकर उसके अनुसार प्रयास करना होगा। किस प्रकार हिंदी शिक्षण को एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं और हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इन सभी बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना होगा।

संदर्भ

- पारख, जवरीमल्ल. 2008. हिंदी शोध की दशा और दिशा. *भारतीय हिंदी शिक्षण सम्मेलन-2008 के लेख और वक्तव्य*. पृ. 170. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा.
- यू.सी.जी. 2019. *उच्च शिक्षा संस्थानों में मूल्यांकन सुधार*. पृ.सं. 1-13. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग.
- रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. पृ. सार संक्षेप. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.
- . 2008. *परीक्षा प्रणाली में सुधार— आधार पत्र*. पृ.सं. 1-14. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.
- शर्मा, किशोरीलाल. *भाषा में मूल्यांकन तथा परीक्षण*. पृ.सं. 1-71. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा.
- शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. पृ.सं. 21-22. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
- शुक्ला, भारती. 2008. हिंदी शिक्षण : वर्तमान दशा-दिशा : अवधारणात्मक विमर्श. *भारतीय हिंदी शिक्षण सम्मेलन— 2008 के लेख और वक्तव्य*. पृ.सं. 136-37. केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा.